परिपत्र संख्या 10 /2019

राजस्थान-सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान

"पंजीयन-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(42)जन/विविध/2019/21035 दिनांक : 5-11-19

~:~ परिपत्र ~:~

विषय :- सी.ए.जी. प्रतिवेदनों में सम्मिलित आक्षेपों पर जनलेखा समिति की सिफारिश अनुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

सी.ए.जी प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 5.16 में महालेखाकार राज. जयपुर द्वारा गठित आक्षेप पर कलक्टर (मुद्रांक) में दर्ज प्रकरण को कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ड्राप किया गया। कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय पर महालेखाकार द्वारा कर बोर्ड में निगरानी याचिका दायर करने की टिप्पणी की गई। विभाग द्वारा इस सन्दर्भ में कर बोर्ड में निगरानी याचिका दायर की गई। कर बोर्ड द्वारा निगरानी याचिका को अपास्त करने पर विभाग द्वारा रिट याचिका दायर की गई। जनलेखा समिति के समक्ष विभागीय साक्ष्य के दौरान आक्षेप की पालना में जन लेखा समिति द्वारा चर्चा उपरान्त सिफारिश की गई है कि जन लेखा समिति की सिफारिश **"जो प्रकरण जनलेखा समिति के समक्ष विचाराधीन हो उन पर वे अपने स्तर पर कोई कार्यवाही न करें, यदि आवश्यक हो तो अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से महालेखाकार एवं समिति के ध्यान में लाया जाकर, कार्यवाही करें।"**

अतः ऐसे प्रकरण जिनमें महालेखाकार तथा विभाग के मध्य सहमति नहीं बन पाती हैं, उन प्रकरणों में निर्णय लेने/कार्यवाही करने से पूर्व जनलेखा समिति से सहमति लेवें।

अतः भविष्य में सी.ए.जी प्रतिवेदनों में सम्मिलित आक्षेपों पर जनलेखा समिति की सिफारिश अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। बिना जनलेखा समिति की चर्चा एवं सिफारिश के कोई निर्णय नहीं लिया जावें।

5/11/19

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान-अजमेर

क्रमांकः एफ-7(42)जन/विविध/2019/21036 to 21654 दिनांक : 5-11-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित भवन, जयपुर।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।

8. संयुक्त विधि परामर्शी / उप विधि परामर्शी / सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लाक–डी वित भवन जयपुर।
10. उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन) मुख्यालय, अजमेर।
11. उप महानिरीक्षक (कर) मुख्यालय, अजमेर।
12. महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षैत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर–302005
13. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान।
14. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर / जोधपुर।
15. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।
16. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
17. निजी–सचिव, महानिरीक्षक / निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
18. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
19. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

5/11/19

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर